12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 192–दो/2005 – विरूद्व आदेश दिनांक 30–12–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 94/2002–03 अपील

महिला प्रेमा देवी पत्नि स्व0 रामरतन ठाकुर
ग्राम महुआ तहसील पोरसा जिला मुरैना ––आवेदक

विरूद्व

1– गोतम सिंह 2– महवीर सिंह

3– उदल सिंह 4– बीर सिंह

सभी पुत्रगण स्व0कोक सिंह निवासी ग्राम

महुआ तहसील पोरसा जिला मुरैना –– अनावेद्रकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 4–7 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 94/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–12–2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार पोरसा को आवेदन देकर बताया कि ग्राम पालि स्थित भूमि सर्वे नंबर 581 रकबा 0.43 है

पर वह काविज है एंव सर्वे कमांक 582 रकबा 0.42 पर स्व0 कोक सिंह काविज है किन्तु बंदोवस्त के दौरान इन भूमियों के सर्वे नंबर बदल दिये गये हैं इसलिये अभिलेख में दुरूस्ती की जाय। तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 78/2000—01 पंजीबद्व किया तथा जांच उपरांत आदेश दिनांक 23—10—2001 पारित करके आवेदक की मॉग अनुसार सर्वे नंबर पुनरांकित कर दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 8/2001—02 में पारित आदेश दिनांक 7—11—2002 से अपील स्वीकार की गई तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 23—10—01 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 94/2002—03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—12—2005 से अपील अस्वीकार की गई । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मृतक रामरतन ठाकुर एंव मृतक कोक सिंह के बीच पूर्व में आदेश दिनांक 13—3—1993 से सहमति बटवारा हुआ है इसी बटवारे में सहमति के आधार पर सर्वे नंबर 582 कोक सिह को एंव सर्वे नंबर 581 रामरतन को दिया है । इस बटवारे की स्वीकारोक्ति स्वरूप दोनों पक्षकारों के बटवारा पंजी पर हस्ताक्षर भी है, जिसके कारण तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 89 के अंतर्गत दोषपूर्ण कार्यवाही करना पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने प्रकरण कमांक 8/2001—02 अपील में पैारित आदेश दिनांक 7—11—2002 से तहसीलदार पोरसा के आदेश दिनांक 23—10—2001 को निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से विद्वान अपर आयुक्त,

चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 94/2002—03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—12—2005 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 94/2002—03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—12—2005 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर